

सहायक आयुक्त सहकारिता जिला नीमच म0प्र0

फोन नं. 07423-230339(E-mail – drcoop.nmh@mp.gov.in)

क्रमांक / 156 / पंजी. / 2017

नीमच दिनांक 27-3-17

विभागीय गतिविधिया


विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है, वर्तमान में वर्गवार में कुल 581 संस्थाएँ प्रजीकृत हैं।

वर्गवार जानकारी निम्नानुसार है—

- 1-प्राथ. कृषि साख सहकारी संस्थाएँ-68
 - 2-गृह निर्माण सहकारी संस्थाएँ-26
 - 3-प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार-61
 - 4-वनोपज सहकारी संस्थाएँ-3
 - 5-दुग्ध सहकारी संस्थाएँ-175
 - 6-मत्स्य सहकारी संस्थाएँ-29
 - 7-अकृषि साख सहकारी संस्थाएँ-39
 - 8-बुनकर पावर हेण्डलुम सहकारी संस्थाएँ-03
 - 9-अन्य समस्त प्रकार की सहकारी संस्थाएँ-84
 - 10-परिसमापित सहकारी संस्थाएँ-93
- कुल ————— 581 संस्थाएँ

उक्त 581 संस्थाओं में से 488 संस्थाएँ कार्यरत हैं। व 93 सहकारी संस्थाएँ परिसमापन में हैं। इनके पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जा रही है।

- 01-विभागीय अंकेक्षकों से उक्त पंजीकृत संस्थाओं का प्रतिवर्ष अंकेक्षण करवाया जाता है।
- 2-पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के प्रत्येक 05 वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं।
- 3-जिले की पंजीकृत साख संस्थाएँ एवं विपणन संस्थाओं द्वारा शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूँ आदि की खरीदी का कार्य किया जाता है। वर्तमान में जिले में 19 खरीदी केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें खरीदी कार्य जारी है। जिले में 6999 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है, जिनसे खरीदी की जा रही है।
- 4-जिले में 68 प्राथ. कृषि साख सहकारी संस्थाएँ पंजीकृत हैं, जिनके माध्यम से जिले के कृषकों को 0% ब्याज दर पर ऋण एवं खाद बीज वितरण किये जा रहा है।
- 5-जिले की 175 दुग्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामिण क्षेत्र में दुग्ध क्रय व संकलन कर दुग्ध प्रदायकों को उचित किमत(भाव) उज्जैन दुग्ध सहकारी संघ मर्या. उज्जैन के माध्यम से दिलवाई जा रही है।
- 6-जिले में कार्यरत बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं के क्षेत्र अन्तर्गत कृषकों को बीज के क्रय-विक्रय सुविधा प्रदाय की जा रही है।


सहायक आयुक्त,
सहकारी संस्थाएँ जिला नीमच